निविदा मूल्य 560 रूपये

प्रधानाचार्य

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक)

देहरादून

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) निरंजनपुर देहरादून के छात्रावास के मैस की भोजन व्यवस्था एवं स्टाफ तथा छात्र छात्राओं हेतु कैन्टीन के लिए निविदा आमंत्रण

निविदा दिनांक 20.12.2023 से दिनांक 04.01.2024, समय 04.00 सायं तक प्राप्त एवं जमा की जा सकती है तथा निविदा दिनांकः 05.01.2024 को प्रातः 11 बजे खोली जाएंगी।

Industrial Training Institute

# राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

बेवसाइट– www.gitidehradunboys.org
मेल आई०डी०– iti.dehradunboys.uk@gmail.com

Cost towards tender document: Rs. 500
GST (12%): Rs. 60
Tender Total Cost: Rs. 560

**निविदा संख्या** : 391 / मैस एवं कैन्टीन संचालन / 2023–24 दिनांक 18.12.2023

निविदा सूचना ::

प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून द्वारा निरंजनपुर माजरा स्थित पुरुष छात्रावास में अंतःवासियों की भोजन व्यवस्था हेतु मैस एवं संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं व कार्यरत स्टाफ के जलपान हेतु कैन्टीन संचालन के लिए दो बिड प्रणाली के अन्तर्गत मोहर बन्द निविदायें दिनांक 04 जनवरी 2024 सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र संस्थान के लेखा पटल से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 20.12.23 से 04.01.24 के मध्य प्रातः 10.00 से सांय 04.00 बजे तक नियत धनराशि का नकद भुगतान कर प्राप्त / जमा किया जा सकता हैं। निविदा प्रपत्र संस्थान की बेवसाइट www.gitidehradunboys.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ रु0560 / – (रु० पांच सौ साठ मात्र) का किसी भी बैंक पर आहरित बैंक ड्राफ्ट जो प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के नाम से देहरादून पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ रु0 10000 / – मात्र (रु0 दस हजार मात्र) की धरोहर राशि जो बैकड्राफ्ट / बैंकर चैक जो प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के नाम से तथा देहरादून पर देय हों, के माध्यम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा के संबंध में आवश्यक शर्ते, महत्वपूर्ण तिथियां, कार्य का सम्पूर्ण विवरण, निर्देश इत्यादि निविदा प्रपत्र में दिए गए हैं। यह अपेक्षित होगा कि निविदादाता निविदा भरने से पूर्व सभी शर्तों तथा तिथियों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। बिलम्ब से प्राप्त, अपूर्ण एवं शर्तों के अनुरूप अभिलेख के बिना जमा की गई निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस संबंध में निविदादाता का दावा स्वीकार नहीं होगा। डाक द्वारा प्रेषित निविदा के संबंध में अवगत कराना है कि पोस्टल विभाग द्वारा निविदा के विलम्ब से प्राप्त कराने हेतु संस्थान कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस प्रकार विलम्ब से प्राप्त निविदा बिना किसी कार्यवाही के स्वतः निरस्त समझी जाऐंगी। निविदा खोले जाने के पूर्व प्रधानाचार्य व इस कार्य हेतु गठित समिति को शर्तो में परिवर्तन करने, किसी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा जो समस्त निविदादाता फर्मों अथवा व्यक्तियों को स्वीकार्य होगा।

निविदा के संबंध में किसी अतिरिक्त जानकारी जो निविदा प्रपत्र में उपलब्ध नहीं है, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के मोबाइल संख्या 9997097630 एवं मोबाईल संख्या 7302663914 अथवा ई मेल आई०डी० iti.dehradunboys.uk@gmail.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

## निविदा प्रपत्र

**संस्थान का संक्षिप्त परिचय :**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून विभिन्न व्यवसायो में डीजीटी भारत सरकार के मानकानुसार प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक अग्रणी राजकीय संस्था है। 1965 में स्थपित इस संस्थान में वर्तमान में सौलह व्यवसाय संचालित हैं। जिसमें लगभग 800 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत एवं लगभग 80 स्टाफ कार्यरत हैं। संस्थान में एक पुरुष छात्रावास भी संचालित हैं जिसकी प्रवेश क्षमता 100 है। संस्थान प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक संचालित होती है। यह संस्थान निरंजनपुर माजरा में स्थित हैं जो अर्न्तराजीय बस अड्डे से 1.5 किमी, देहरादून रेलवे स्टेशन से 5.5 किमी0 तथा निकटतम हवाई अड्डे जौलीग्रांट से 34 किमी0 की दूरी पर है।

**निविदा आमंत्रण का उद्देश्यः**

संस्थान के पुरूष छात्रावास के अंतःवासियों की भोजन व्यवस्था व संस्थान कार्य अवधि में उपस्थित छात्र/छात्राओं तथा स्टाफ को कैंटीन के माध्यम से चाय, स्नैक्स व दिन के भोजन हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है जिसका प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छ व स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना है। संचालित कैंटीन व मैस का उपयोग यदा कदा संस्थान में पधारने वाले अस्थायी प्रशिक्षणार्थियों, आगंतुकों व अतिथियों द्वारा भी किया जाएगा। संस्थान में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी इस सुविधा का उपभोग किया जा सकेगा।

**कार्य की प्रकृति :**

संस्थान लगभग 800 छात्रों और 80 कर्मचारियों के लिए पुरूष छात्रावास मेस और कैंटीन को समन्वित रूप से संचालित करने की योग्यता धारक निविदा दाताओं से निविदा आमंत्रित करती है जो पुरूष छात्रावास मैस और कैंटीन को एकआइटम (Single work) के रूप में संचालित करने के इच्छुक हों। प्रारंभ में मैस व कैंटीन संचालन हेतु एक वर्ष का अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है जो आपसी समझौते से तीन वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

निविदादाता से अपेक्षित सेवायें निम्नवत हैः–

1–छात्र/छात्राओं तथा स्टाफ के लिए यथोचित प्रकार के भोजन स्नैक्स इत्यादि को बनाना तथा स्वच्छता से परोसना ।
2– प्रत्येक सर्विस के बाद प्रयुक्त बर्तनों तथा उपकरणों इत्यादि की समुचित सफाई करना।
3– रसोईघर तथा खाने में प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण/ काकरी, फर्नीचर जिसमें डस्टबिन, सिंक, वाटर प्यूरीफायर, वाटर कूलर इत्यादि सम्मिलित है, की सफाई व अनुरक्षण करना।

**तकनीकी अर्हता :**

1– निविदादाता को अनिवार्य रूप से पैन अथवा टैन धारक होना चाहिए।
2– कम से कम विगत 02 वर्षों से कैटरिंग के व्यवसाय में सम्मिलित हो।
3– किसी शैक्षणिक संस्थान में मैस अथवा कैन्टीन चलाने के कार्य का अनुभव रखने वाले निविदादाता को वरीयता दी जायेगी।
4– निविदादाता की अर्थिक स्थिति सुदृढ होनी चाहिए।

**सामान्य शर्ते :**

1– निविदादाता निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तो/अर्हता/कार्य इत्यादि के सम्बन्ध में सम्यक अध्ययन के उपरान्त ही निविदा जमा करें। किसी प्रकार की जानकारी अथवा तथ्य का अभाव निविदादाता का स्वयं का होगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

2– निविदा के साथ परिशिष्ट 2 के अनुरूप समस्त अभिलेखों का संलग्न होना अनिवार्य है।

3– निविदादाता किसी जानकारी अथवा शंका की स्थिति में दूरभाष संख्या–9997097630 एवं 7302663914 पर अथवा संस्थान की ई–मेल आई०डी० iti.dehradunboys.uk@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते है।

4– प्रधानाचार्य अथवा उनके द्वारा गठित समिति निविदा की शर्तों में बिना किसी पूर्व सूचना के संशोधन कर सकते है। संशोधन संस्थान की बेवसाइट gitidehradunboys.org पद पर उपलब्ध होगा। अतः निविदादाता का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह निविदा जमा करने से पूर्व इन संशोधनों का संज्ञान लेते हुए इसके अनुसार ही निविदा जमा करें।

5– यह निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है।

6– एक ही दिन के दोपहर व रात के खाने में सब्जी अथवा दाल की पुनरावृत्ति नही की जा सकती है।

7– छात्रावास के अन्तःवासियों को दिये जाने वाला दोपहर का भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन की मात्रा सीमित नही होगी।

8– प्रारंभ में मैस व कैंटीन संचालन हेतु एक वर्ष का अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है जो आपसी समझौते से तीन वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है। परन्तु मैस ठेकेदार के संस्थान के बाहर अथवा अन्दर किसी ऐसे कृत्य में लिप्त पाये जाने पर जिससे संस्थान की सामान्य प्रतिष्ठा प्रभावित होती हो, अनुबन्ध तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा।

9– संस्थान 01 माह के नोटिस पर अनुबन्ध को समाप्त कर सकता है।

10–निविदादाता /फर्म को अनुबन्ध करने से पूर्व संस्था में रू0 50000/– (रु० पचास हजार मात्र) की प्रतिभूति धनराशि एफ०डी०आर०/बैंक गारन्टी जो प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के नाम से आहरित तथा देहरादून पर देय हो जमा करनी होगी।

11–संस्थान द्वारा मैस अथवा कैन्टीन संचालन हेतु आवंटित स्थान का प्रयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्थान आवंटित है। अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12–पुलिस रिकार्ड में किसी अभियोग में पंजीकृत अथवा दण्डित कर्मचारी रखा जाना अनुमन्य नहीं है।

13–मैस एवं कैन्टीन में अग्नि अथवा अन्य सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

14–मैस एवं कैन्टीन के संचालन के लिए निर्धारित अवधि में परिवर्तन केवल सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

15–तकनीकी बिड दिनांक 05.01.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकी बिड में सफल पाये जाने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

16–जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड स्वीकार नहीं होती है उनकी धरोहर राशि अगले कार्यदिवस में वापस कर दी जायेगी।

17–वित्तीय बोली (मूल्य अनुसूची) और तकनीकी बोली निविदा दस्तावेज के मूल्य अनुसूची के तहत किये गये निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

18–निविदादाता के द्वारा तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली को अलग अलग लिफाफे में सील कर (चैक लिस्ट के अनुसार) एक बड़े लिफाफे में सील करके राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून में जमा करना होगा। लिफाफे के ऊपर **"राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) निरंजनपुर देहरादून छात्रावास मे मैस तथा कैंटीन हेतु निविदा"**एवं निविदा खोलने की दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

19–प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक)देहरादून के पास निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने या उन्हें आंशिक या पूर्ण रुप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

20–निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अभिलेख इत्यादि पर होने वाला व्यय निविदादाता की जिम्मेदारी है संस्थान इस प्रकार के किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

21–जिस निविदाकार को ठेका दिया गया है वह अनुबन्ध प्रदान करने की तिथि से रुपये 100/– संलग्न प्रपत्र में अपने स्वयं के खर्च पर अनुबन्ध निष्पादित करेगा।

22–निविदादाता को निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ने के प्रमाण में सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर मुहर के साथ विधिवत् भरा हुआ निविदा दस्तावेज भी जमा करना चाहिए।

23–जिस निविदादाता की बोली स्वीकार की जाती है उन्हें संस्थान द्वारा अनुबन्ध प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया जायेगा। स्वीकृत प्रस्ताव के नियम और शर्तें अनुबन्ध में शामिल की जाएंगी।

24–निविदादाता के पास कैन्टीन एवं मैस संचालन हेतु फर्नीचर, डबल बर्नर स्टोव, बैनमैरी, व्यावसायिक गैस सिलेंडर, वेजिटेबल कटर, ग्लास, ब्रेकफास्ट प्लेट, लंच प्लेट, कड़ाही, फ्राइंगपैन, चम्मच आदि जैसे सभी रसोई उपकरण होने चाहिए। संस्थान को उपरोक्त प्रदान करने का दायित्व नहीं है।
25–बोलीदाता को संलग्नकों के साथ श्रम लाइसेंस का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
26–सभी विवाद केवल देहरादून क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
27–कैन्टीन में होने वाले विद्युत व्यय के बिल को संचालक द्वारा वहन करना होगा।

## निविदा के बारे में मुख्य जानकारी

1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि– निविदा प्रपत्र संस्थान से रुपये रू0 560.00 (रुपये पांच सौ साठ मात्र) के नकद भुगतान द्वारा दिनांक 20.12.2023 से 04.01.2024 के मध्य किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से 4.00 बजे तक के मध्य प्राप्त/जमा की जा सकती है। निविदा प्रपत्र संस्था की बेवसाइट gitidehradunboys.org पर उपलब्ध हैं। निविदादाता इन बेवसाइटों से निविदा डाउनलोड कर सकते हैं परन्तु इस प्रकार डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ 560.00 (रुपये पांच सौ साठ मात्र) को डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के पक्ष में हो, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) निरंजनपुर, देहरादून के नाम से आहरित तथा देहरादून में देय हो ,संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. जमा करने का तरीका–पूर्ण रुप से भरी तथा समस्त संलग्नकों व धरोहर राशि सहित निविदायें स्वयं दिनांक 04.01.2024 तक सायं 4.00 बजे तक संस्थान के प्रशासनिक भवन में स्थित लेखा पटल में जमा की जा सकती है। इसी प्रकार की निविदायें पंजीकृत डाक अथवा कोरियर के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती है परन्तु प्रेषित निविदा 04.01.2024 तक सायं 4.00 बजे तक संस्थान कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
3. निविदा के सम्बन्ध में आवश्यक शर्तें, महत्वपूर्ण तिथियां, कार्य का सम्पूर्ण विवरण, निर्देश इत्यादि निविदा प्रपत्र में दिये गये हैं तथा यह निविदा प्रपत्र का भाग है। यह अपेक्षित होगा कि निविदादाता निविदा भरने से पूर्व सभी शर्तों तथा तिथियों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। विलम्ब से प्राप्त, अपूर्ण एवं शर्तों के अनुरुप अभिलेख के बिना जमा की गयी निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेंगी तथा इस सम्बन्ध में निविदादाता का दावा स्वीकार नहीं होगा।
4. निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये समस्त परिशिष्ट तथा अनुलग्नक जो निविदा दस्तावेज के भाग हैं, आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त निविदादाता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनके नाम के साथ हस्ताक्षरित होनी चाहिए। बिना हस्ताक्षरयुक्त अभिलेख मान्य नहीं होंगे।
5. निविदा की तकनीकी तथा वित्तीय बिड अलग अलग लिफाफे जिस पर तकनीकी तथा वित्तीय बिड स्पष्ट रुप से अंकित हो में सील कर इन लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर जमा करना होगा। सभी लिफाफों पर **"राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान (युवक) निरंजनपुर देहरादून छात्रावास मे मैस तथा कैंटीन हेतु निविदा"** स्पष्ट रुप से लिखा होना चाहिए। तकनीकी बिड वाले लिफाफे पर **"तकनीकी बिड"** तथा वित्तीय बिड वाले लिफाफे पर **"वित्तीय बिड"** अंकित होनी चाहिए।
6. तकनीकी बिड के साथ रूपये 10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि जो बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक जो प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के नाम आहरित तथा देहरादून में देय हो,मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ में निर्धारित धरोहर राशि संलग्न न होने पर निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को रुपये 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) की प्रतिभूति धनराशि जो कम से कम एक वर्ष के लिए वैध किसी भी बैंक पर आहरित सावधि जमा रसीद के रुप में हो जमा करना होगा। सावधि जमा रसीद प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के नाम से आहरित तथा देहरादून में देय होनी चाहिए।

8. निर्धारित अवधि के अन्दर प्रतिभूति धनराशि जमा न करने पर ऐसे निविदादाता की धरोहर राशि जब्त करते हुए अगले न्यूनतम बोलीदाता को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में प्रथम न्यूनतम बोलीदाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. सफल निविदादाता को प्रत्येक दशा में 15 जनवरी 2024 से मैस का संचालन करना होगा।
10. निविदा खोलने की तिथि पर सार्वजनिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
11. निविदा के सम्बन्ध में सर्वाधिकार समिति तथा प्रधानाचार्य के पास सुरक्षित है।

प्रधानाचार्य

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून

परिशिष्टः1 महत्वपूर्ण तिथियां एवं सन्दर्भ

| | | |
|---|---|---|
| 1. | निविदा जारी होने की तिथिः | दिनांक 20.12.2023 |
| 2. | संस्थान के लेखा पटल से निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथिः | दिनांक 20.12.2023 से दिनांक 04.01.2024 तक प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 से अपरान्ह 4:00 बजे तक। |
| 3. | निविदा जमा करने का स्थान व समयः | संस्थान में लेखा पटल में दिनांक 04.01.2024 दिन अपरान्ह 4:00 बजे तक। |
| 4- | तकनीकी बिड खोले जाने का स्थान व समयः | प्रशासनिक भवन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के प्रधानाचार्य कक्ष में दिनांक 05.01.2024 पूर्वान्ह 11:00 बजे। |
| 5. | वित्तीय बिड खोले जाने का स्थान व समयः | तकनीकी बिड में अर्ह पाई निविदा के परीक्षण के उपरांत प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के कक्ष में। |

**परिशिष्टः 2 तकनीकी योग्यता बोली**
**भाग 1 निविदाकर्ता की रूपरेखा**

| क्रम सं0 | विवरण | | टिप्पणी (हां/नहीं) |
|---|---|---|---|
| 1 | विशेष रूप से खानपान सेवाओं में अधिमानः बड़े संस्थागत प्रतिष्ठानों में न्यूनतम वार्षिक कारोबार के साथ कार्य करने में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता होनी चाहिए (अनुभव हेतु कार्यादेश/अनुबन्ध पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा) | छायाप्रति संलग्न करें। | |
| 2 | फर्म द्वारा कार्य की पूरी अवधि के लिए सभी वैधानिक प्राधिकरणों नगर निगम/आयकर/बिक्री कर/ वाणिज्य कर विभाग से अपेक्षित लाईसेंस अनुमोदन, प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। | छायाप्रति संलग्न करें। | |
| 3 | फर्म या सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ किसी भी अदालत में लम्बित कानूनी मामले या किसी भी मुददे यदि कोई हो विशेष रूप से वैधानिक कानूनो आदि में किसी भी उल्लघन के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करेगी। ऐसे निविदाकारों जिनके आयकर बिक्री कर आदि लंम्बित है, की बोलियां बिना किसी सूचना के सीधे खारिज कर दिया जाएगा। | विवरण संलग्न करें | |
| 4 | संगठन का प्रकारः– (प्रोपराइटरशिप ,पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप की प्रमाणित करें। प्रति/निगमन का प्रमाण पत्र/सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र) | प्रति संलग्न है। | |
| 5 | फर्म के मालिक, भागीदारी /निदेशको का नाम पता और फोन नम्बर के साथ | विवरण संलग्न करें | |
| 6 | खाद्य लाईसेस संख्या (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जानी है। | प्रति संलग्न है। | |
| 7 | पैन कार्ड | प्रति संलग्न है। | |
| 8 | माल और सेवा कर पंजीकरण संख्या (जी.एस.टी.) | प्रति संलग्न है। | |
| 9 | नियोजित व्यक्तियों की संख्या स्थायी ............अस्थायी......... | विवरण संलग्न करें | |
| 10 | क्या 24X7 सेवा और सहायता उपलब्ध होगी। | हां/नही | |
| 11 | फर्म के लेटर हेड पर फर्म द्वारा यह वचन दिया जाना चाहिए कि यह पूर्व में ब्लैंक लिस्टेड नही है। | विवरण संलग्न करें | |

स्थान –

दिनांक –

**(नाम, पदनाम और कपंनी की मुहर के साथ हस्ताक्षर)**

**भाग 2** **पिछले अनुबंधों का विवरण**

| अनुबंध की अवधि कब से कब तक | संगठन का नाम और पता संदर्भ पत्रों के साथ | संपर्क व्यक्ति का नाम और फोन नंबर | अनुबंध का मूल्य और अन्य विवरण | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**आपके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के वर्तमान अनुबंधों, यदि कोई हो, का विवरण दें जो हमारे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हों:**

| अनुबंध की अवधि कब से कब तक | संगठन का नाम और पता संदर्भ पत्रों के साथ | संपर्क व्यक्ति का नाम और फोन नंबर | अनुबंध का मूल्य और अन्य विवरण | टिप्पणीयां |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

स्थान –

दिनांक

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

# अन्डरटेकिंग

भाग 3

मै/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि यदि निविदा खोलने के बाद तकनीकी बिड/निविदा दस्तावेज में दी गयी कोई भी जानकारी झूठी/गलत पाई जाती है तो निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ईएमडी धनराशि/बिड सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और सफल निविदादाता के मामले में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून द्वारा निष्पादन गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

ठेकेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

एजेंसी/फर्म की मुहर साथ

## विशिष्ट/विशेष नियम और शर्तें

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) निरंजनपुर, देहरादून छात्रावास मैस/कैंटीन निविदादाता को अनुभव, पहले किये गये अनुबंधों, सभी क्षेत्रों के भोजन तैयार करने की क्षमता, प्रबन्धकीय क्षमताओं और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा अर्थात निविदा समिति द्वारा उपयुक्त माना जाएगा। यदि आवश्यक हो तो प्रतिनिधियों/वार्डन की समिति निविदादाता द्वारा बनाये जा रहे भोजन आदि की गुणवत्ता की जांच के लिए उसके छात्रावास मेस सेवाओं के वर्तमान अनुबंध के स्थान पर भी की जा सकती है। मैस निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि छात्रावास के छात्रों का स्वास्थ्य ,स्वच्छता, सुरक्षा और संतुष्टि छात्रावास की प्राथमिकता है। निम्नलिखित नियम और शर्ते जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगीं–

1–यह छात्रावास मैस अनुबंध प्रारम्भ में 01 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि छात्रावास के छात्र और छात्रावास अधीक्षक निविदादाता के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं तो अनुबंध की अवधि को बिना निविदा आंमत्रित किये 02 वर्ष अर्थात (अधिकतम कार्यकाल 03 वर्ष तक बढाया जा सकता है)।

2–छात्रावास बिजली, फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। सामान्य टूट–फूट के अलावा किसी भी प्रकार के नुकसान/क्षति के लिए वह जिम्मेदार होगा। किसी भी नुकसान या क्षति के मामले में निविदादाता को खोई हुई वस्तुओं को बदलना होगा/वार्डन के अनुमोदन और निर्देश के अधीन आवश्यक मरम्मत करनी होगी।

3–छात्रावास मैस और कैन्टीन के आसपास सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति बनाये रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफाई के सम्बन्ध में वार्डन के सुझावों/कार्यो का पालन करना होगा और इस पर होने वाला खर्च निविदादाता को वहन करना होगा।

4–छात्रावास मैस और कैन्टीन के संचालन और प्रबंन्धन के लिए निविदादाता को पर्याप्त कार्मिकों को रखना होगा। प्रत्येक छात्रावास मैस और कैन्टीन में कार्यकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

5–निविदादाता/एजेंसी द्वारा तैनात प्रबन्धक/कर्मचारियों को किसी भी छात्र/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।

6–संस्थान परिसर में धूम्रपान और नशा (शराब, गुटखा, तंबाकू आदि) सख्त वर्जित है।

7–अनुबंध अवधि के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर अनुबंध सेवा समाप्ति के लिए दोनों ओर से एक महीने का नोटिस आवश्यक है।

8–निविदादाता को छात्रावास मैस और कैन्टीन में एक शिकायत पंजिका रखना आवश्यक होगा जिसका छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा।

9–यदि प्रबन्धक का छात्रावास मैस और कैन्टीन प्रबन्धन उचित नहीं पाया गया या भोजन की गुणवत्ता मानक से नीचे या अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छ पाई जाती है तो संस्थान को पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि वह एक सप्ताह के अल्प नोटिस के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है। छात्रावास अधीक्षक/समिति की राय अंतिम मानी जाएगी।

10–भोजन कच्चा माल, सामग्री आदि बेहतर गुणवत्ता, ताजा, पौष्टिक और स्वच्छ होने चाहिए। किसी भी प्रकार के पके हुए भोजन को भोजन करने के बाद संग्रहित/संरक्षित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में वार्डन के सुझावों/निर्देशों का पालन नहीं करना, अनुबंध के नियमों और शर्तो का उल्लघंन माना जाएगा और इसके लिए दडिंत किया जाएगा।

11–छात्रावास के मैस और कैंटीन के कर्मचारी और रसोइया चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उन्हें नियमित रूप से चिकित्सा जांच करानी होगी जिसका व्यय छात्रावास मैस और कैन्टीन प्रबन्धक को स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई छात्रावास मैस और कैन्टीन कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे अपने कर्तव्यों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती और छात्रावास मैस और कैन्टीन प्रबन्धक को बिना किसी असफलता के उसे तुरन्त उस कार्मिक को बदलना होगा।

12–निविदादाताओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि छात्रावास मैस और कैंटीन के कर्मचारी की यूनिफॉर्म साफ होनी चाहिए।

13–इस निविदा के साथ निविदादाता के द्वारा अनुसरण किये जाने वाले दैनिक मैन्यू का नमूना संलग्न है मौसमी सब्जियों की उपलब्धता और उनकी बाजार आपूर्ति के अनुरूप विशेष दिवसों पर छात्रावास अधीक्षक के साथ मैन्यू में बदलाव किया जा सकता है।

14–भोजन निर्धारित समय पर देय होगा। विषम परिस्थिति आने पर समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

15– किसी छात्र के अस्वस्थ होने पर मैस प्रबन्धक अस्वस्थ छात्र को हल्का भोजन प्रदान करेगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नही दिया जाएगा।

16–मैस प्रबन्धक को छात्रों से खाना खाने का मासिक अग्रिम धनराशि लेनी होगी। छात्रों/अतिथियों/स्टाफ के खाने के बिल के लेनदेन की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी। संस्थान के मैस /कैंटीन में जो भी सामान उपलब्ध है वह मैस/कैंटीन प्रबन्धक को उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा मैस और कैंटीन समाप्ति के बाद उसी स्थिति में पुनः वापस लिया जायेगा।

17–छात्रावास मैस के भुगतान की गणना छात्रावास मैस के संचालन के वास्तविक दिनों में होगी।

18– कैंटीन प्रबन्धक छात्रों/अतिथियों/स्टाफ से शुल्क सीधे वसूल करेगा, लेन–देन की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।

19– छात्रावास के मैस/कैंटीन के बर्तनों को प्रत्येक भोजन के उपरांत डिटर्जेंट पाउडर/साबुन का उपयोग करके गर्मपानी से साफ करना होगा।

20–निविदादाता को अपने सभी कर्मचारियों/ छात्रावास के मैस, कैंटीन का पूर्ण विवरण/रिकार्ड बना कर रखना होगा तथा यह जानकारी उनकी तस्वीरों के साथ संस्थान को उपलब्ध कराना होगा।

21– छात्रावास के मैस/ कैंटीन के कर्मचारियों में से किसी को भी यदि चोट/मृत्यु की दशा में या किसी भी दुर्घटना की अवस्था में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा संस्थान का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

22–खाद्य विषाक्तता की घटनाओं के मामले में निविदादाता पूरी तरह से जिम्मेदार/उत्तरदायी होगा और छात्रावास के छात्रों के चिकित्सा उपचार के समस्त खर्चो को वहन करेगा।

23–निविदादाता किसी भी छात्रावास मैस और स्टाफ कैंटीन में किसी भी ऐसे कर्मचारी को नियुक्त नहीं करेगा जिसका ट्रैक रिकार्ड अच्छा नहीं है निविदादाता द्वारा तैनात स्टाफ किसी भी अपराध/पुलिस मामले में संलग्न हो।

24–किसी भी मादक पेय/शराब का भंडारण/उपभोग सख्त वर्जित है। प्रबन्धक छात्रावास मैस, कैंटीन /छात्रावास में ऐसा कोई भी पदार्थ/पेय नहीं रखेगा। छात्रावास परिसर में धूम्रपान,गुटखा,तंबाकू,पान आदि का सेवन भी प्रतिबंधित है।

25–छात्रावास मैस एंव स्टाफ कैंटीन के कर्मचारियों को नियोजित करने के सम्बन्ध में निविदादाता को सभी श्रम कानूनों/शासकीय कानूनों का पालन करना होगा। किसी भी विवाद/श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

26—छात्रावास मैस एंव स्टाफ कैंटीन के कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार के लिए प्रबन्धक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी भी कर्मचारी ने छात्रावास के किसी भी कर्मचारी/छात्रावास के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसे संस्थान को सूचित करेते हुये तथा वार्डन द्वारा सुझाए गए अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

27— प्रबन्धक को अन्य तैयार खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, वेफर, नमकीन और स्वादयुक्त दूध आदि जब भी आवश्यकता हो, उपलब्ध कराना होगा।

28—किराने की वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता का ही उपयोग करने की अनुमति होगी।

29—अवकाश के दौरान संस्था के पूर्व निर्देशों के अनुसार छात्रावास मैस एंव स्टाफ कैंटीन बंद रहेगी।

30—निविदादाता भारत सरकार के प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार इस अनुबन्ध के निष्पादन के लिए एक समझौता करेगा और इसके लिए पूरी लागत वहन करेगा।

31—बोलीदाता द्वारा अपने खर्च पर खाद्य सामग्री के बर्बादी के कारण रूकावट के मामले में ड्रेनेज लाइन का रखरखाव/मरम्मत निविदादाता के द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।

32—फर्म को सौंपे गये कार्य के लिए ठेकेदार किसी भी उप ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा।इसके अलावा न तो अनुंबंध का कोई हिस्सा और न ही कोई शेयर या ब्याज किसी भी तरीके याडिग्री में ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी भी व्यक्ति/फर्म को कार्य हस्तांतरित या सबलेट नही करेगा।

30—निम्न लिखित नियमों के उल्लघंन के मामले में मैस प्रबन्धक पर जुर्माना लगाया जाएगाः—

(क) काउंटर पर शिकायत रजिस्टर की अनुपलब्धता/शिकायत को हतोत्साहित करने पर रूपये 1000—00 का जुर्माना लगाया जायेगा।

(ख) किसी भी भोजन में कीड़े पाये जाने की 03 या तीन से अधिक शिकायत पर 2000—00 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा।

(ग) छात्रावास मैस में एक दिन में 10 अशुद्ध/गन्दे बर्तन पाये जाने पर 2000—00 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा।

(घ) छात्रावास मैस एंव स्टाफ कैंटीन समिति की अनुमति के बिना मेन्यू में परिवर्तन करने पर रु0 2000—00 जुर्माना लगाया जायेगा। अनुबंध में वर्णित किसी भी नियम के लिए— नियम का पहला उल्लंघन नियम के अनुसार जुर्माना है।एक ही कैलेन्डर माह समान नियम का दूसरा उल्लंघन करने पर कैटरर के लिए प्रारम्भिक जुर्माने की तीन गुना राशि लगेगी। एक ही नियम के बाद के सभी उल्लंघनों पर जुर्माना क प्रारम्भिक राशि का पॉच गुना आमंत्रितकिया जा सकता है।

34— सुरक्षा विनियम अनुबंध के हिस्से के रूप में सौंपे गये कार्य को करने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के सबंध में ठेकेदार सुरक्षा कोड के अनुसार अपने स्वयं के खर्चे पर श्रमिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। सी0पी0डब्ल्यू0डी, भारतीय मानक संस्थान, विद्युत अधिनियम, विभिन्न सुरक्षा नियम, उसके तहत बनाये गये नियम और आदेश और ऐसे अन्य अधिनियम जो लागू हों, मैस किचन में अग्नि सुरक्षा उपकरण निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

35—सांविधिक प्रावधानों की पूर्ति — ठेकेदार प्रासंगिक अधिनियम के सभी वैधानिक प्राविधानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठेका श्रमिक (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम और अन्य सभी श्रम और औद्योगिक अधिनियम अपने जोखिम और लागत पर उसके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों के सबंध में किसी भी अधिनियम आदि के प्रावधानों के किसी भी उल्लघंन/गैर

अनुपालन के लिए संस्थान के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के लिए संस्थान को क्षति पूर्ति दी जाएगी। इसलिए किसी भी अधिनियम के इन प्रावधानों में से किसी एक का भी अनुपालन न करने या उल्घंन के कारण अनुबंध की तत्काल समाप्ति हो जाएगी। ठेकेदार वैधानिक अधिनियमों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी अभिलेखों को बनाए रखेगा। वार्डन और उसके अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी समय ऐसे सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए हकदार होंगे।

36–कामगारों को दुर्घटना या चोट – संस्थान बीमा कंपनी के दावे के माध्यम से ठेकेदार के रोजगार में किसी भी कामगार या अन्य व्यक्तियों को किसी भी दुर्घटना या चोट के सबंध में या उसके परिणाम स्वरूप देय किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार को इस तरह के सभी नुकसान और मुआवजे क संबध  में या उसके संबध में संस्थान को क्षतिपूर्ति करेगा।

37–किसी भी परिस्थिति में प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून के साथ किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए ठेकेदार के कर्मचारी का कोई दावा नही होगा।

38–कैंटीन का विद्युत प्रभार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

**फॉर्म–1**

**निविदा/शर्तें स्वीकृति पत्र**

दिनांक:

(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाना है)

सेवा में,

प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक),
निरंजनपुर, देहरादून।

निविदा संख्या 391 / मैस एवं कैन्टीन संचालन / 2023–24 दिनांक 18.12.2023

विषयः टेंडर के नियमों और शर्तों की स्वीकृति।

निविदा का नामः ..........................................................

श्रीमान,

1.मैं / हमने उपर्युक्त निविदा / कार्य के लिए निविदा दस्तावेज (दस्तावेजों) संस्थान / वेबसाइड से खरीदा / डाउनलोड किया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), निरंजनपुर, देहरादून की वेबसाइड gitidehradunboys.org के अनुसार उपरोक्त वेबसाइड में दिया गया है।

2. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि मैंने / हमने निविदा दस्तावेजों (अनुलग्नक, अनुसूची आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित), जो अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं और मैं / हम इसमें निहित नियमों / शर्तों / खंडों का पालन करेंगे।

3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके संस्था द्वारा समय–समय पर जारी शुद्धिपत्र को भी ध्यान में रखा गया है।

4. मैं / हम एतद्द्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज (दस्तावेजों) / शुद्धिपत्र की निविदा शर्तों को पूरी तरह से / पूर्ण रुप से स्वीकार करते हैं।

5. यदि इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपका संस्थान इस निविदा / बोली को पूरी तरह से जब्त करने सहित पूरी तरह से रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा और संगठन के खिलाफ संतुष्टि में हमारा कोई दावा / अधिकार नहीं होगा।

आपका आभारी,

(आधिकारिक मुहर के साथ निविदादाता के हस्ताक्षर)

**फार्म–II**

## नैतिक प्रथाओं का प्रमाण पत्र

(यह दस्तावेज निविदाकर्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होगा और तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाएगा।

1. मैं/हम प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून को आश्वस्त करता हूं/करते हैं कि न तो मैं/हम और न ही मेरा/हमारा कोई कर्मचारी ऐसा कोई कार्य करेगा, जो हमें दिए गए अनुबंध के निष्पादन के दौरान अनुचित/अवैध हो।
2. न तो मैं/हम और न ही मेरी/हमारी ओर से कोई भी संगठन/संस्था के साथ मेरे/हमारे व्यवहार में किसी भी भ्रष्ट गतिविधियों/व्यवहारों में लिप्त होगा।
3. संस्था में हमारे किसी भी कार्य/अनुबंध में मेरा/हमारा हितों का टकराव नहीं होगा।
4. हम छात्रावास मैस एंव कैंटीन और उसके आस–पास को स्वच्छ रखेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है।
5. हमारी फर्म को किसी सरकारी/अर्ध सरकारी या कोइ्र अन्य संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है।

स्थान–

दिनांक–

आपका आभारी

(आधिकारिक मुहर के साथ निविदादाता के हस्ताक्षर)

A- छात्रावास मैस

**वित्तीय/वाणिज्यिक बोली**

| राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून | | | |
|---|---|---|---|
| कार्य का नाम | | छात्रावास मैस के संचालन | |
| प्रबन्धक का नाम | | | |
| क्र0सं0 | मदों का विवरण | दर (रु0 में) | दर (रु0 में) शब्दों में |
| 1. | सुबह का नाश्ता की दर प्रति छात्र प्रति दिन | | |
| 2. | दोपहर के खाने की दर प्रति छात्र प्रति दिन | | |
| 3. | सायं को चाय – 2 बिस्किट | | |
| 4. | रात के खाने की दर प्रति छात्र प्रति दिन | | |
| Sub Total A | कुल दर प्रति छात्र प्रति दिन | | |

**B-** स्टाफ एवं छात्र छात्राओं हेतु कैन्टीन संचालन

## वित्तीय/वाणिज्यिक बोली

| | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून | | | |
|---|---|---|---|---|
| कार्य का नाम | | कैंटीन के संचालन | | |
| प्रबन्धक का नाम | | | | |
| क्र0सं0 | मदों का विवरण | मात्रा | दर (रु0 में) | दर (रु0 में) शब्दों में |
| 1. | चाय | 150 ml | | |
| 2. | कॉफी | 150 ml | | |
| 3. | लेमन टी | 150 ml | | |
| 4. | ग्रीन टी | 150 ml | | |
| 5. | समोसा | 01 pcs | | |
| 6. | बन्द टिक्की | 01 pcs | | |
| 7. | बन्द मक्खन | 01 pcs | | |
| 8. | चाऊमीन | 01 plate | | |
| 9 | पैटीज | 01 pcs | | |
| 10 | टिक्की | 01 pcs | | |
| 11 | ब्रैड पकोडा | 01 pcs | | |
| 12 | चाय | 150 ml | | |
| 13 | पेस्ट्री | 100 gm | | |
| 14. | लंच (4 तवा रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, अचार) | 1 थाली | | |
| 15. | राजमा चावल/कड़ी चावल/छोले चावल | 1 प्लेट (200 ग्राम) | | |
| 16. | मैगी | 1 प्लेट | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. | आलू पूरी | 4 पीस प्रति प्लेट | | |
| 18. | परांठा (आलू/गोबी/प्याज आदि) | 1 नं0 | | |
| 19. | छोले–भटूरे | 2 पीस प्रति प्लेट | | |
| | Sub Total B | | | |
| | Total A+B | | | |

नोटः उपर्युक्त मूल्य में सभी प्रकार की सामग्री लागत, परिवहन लागत और ठेकेदार के लाभ मार्जिन शामिल हैं। पैकेज्ड खाद्य सामग्री जैसे बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स आदि एमआरपी या उससे कम मूल्य पर उपलब्ध करानी होगी। फर्म को मैस एवं कैन्टीन के प्रत्येक आइटम का मूल्य लिखना अनिवार्य होगा।

अधिकारिक मुहर के साथ बोली
लगाने वाले का नाम और हस्ताक्षर

# राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) देहरादून

## कैंटीन भोजन का विवरण सत्र 2023—24

| क्रम सं0 | दिन | ब्रेकफास्ट (08:00 AM TO 09:00 AM ) | लंच (01:00 PM TO 01:30 PM ) | डिनर (08:00 PM TO 09:00 PM ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | 2 सादे पंराठे + सब्जी अचार + चाय | रोटी + चावल + सब्जी + राजमा उड़द दाल। | रोटी + चावल + सोयाबीन बडी की सब्जी + तरीदार काले चने |
| 2 | मंगलवार | 2 आलू पंराठे + अचार + चाय। | रोटी + चावल + सब्जी + चना उड़द दाल । | रोटी + चावल + सब्जी + छोले |
| 3 | बुधवार | 4 पूरी + आलू की सब्जी + अचार + चाय | रोटी + चावल + सब्जी + अरहर मलका दाल। | रोटी + चावल + सीजनल सब्जी + उड़द साबूत दाल |
| 4 | बृहस्पतिवार | 2 आलू पंराठे +अचार +चाय | रोटी + चावल + सब्जी + कढी पकोडा। | रोटी + चावल + सब्जी + मलका अरहर दाल |
| 5 | शुक्रवार | 2 सादे पंराठे + सोयाबड़ी आलू की सब्जी + चाय + अचार | रोटी + चावल + सब्जी + छोले । | रोटी + चावल + सब्जी + मिक्स दाल |
| 6 | शनिवार | 2 आलू पंराठे + अचार + चाय | रोटी + चावल + सोयाबीन बडी की सब्जी + मूंग मसूर दाल | रोटी + चावल + सीजनल सब्जी + तरीदार काले चने |
| 7 | रविवार | 4 पूरी + छोले + अचार + चाय। | रोटी + चावल + सब्जी + अरहर मसूर। | रोटी + चावल + सब्जी + चना उड़द। |

नोट— सब्जी मौसमानुसार परिवर्तित होगी तथा प्रतिदिन लंच एवं डिनर में भी सब्जी और दाल परिवर्तित होगी।

| सब्जियाँ निम्नवत रहेंगी। |
|---|
| 1— पत्ता गोभी आलू/शिमला मिर्च आलू/भिन्डी। |
| 2— गाजरआलू/बैंगन आलू/लौकी आलू |
| 3—जीरा आलू/फ्रासबीन की फली/सोयाबीन की बरी |
| 4— पत्ता गोभी आलू/शिमला मिर्च आलू/ बैंगन आलू |
| 5— अरबी की सब्जी/फूल गोभी आलू/भिन्डी |
| 6— मटर आलू टमाटर/गाजर मटर आलू/तोरई |
| 7—जीरा आलू/फरासबीन की फली/सोयाबीन की बरी |